भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2101

12 फरवरी, 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए

राजस्थान में एआरएचसी की स्थिति

†2101. श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ः

श्री भोजराज नागः

श्री खगेन मुर्मुः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) 2.0 के तहत देश में, विशेषकर राजस्थान में अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (एआरएचसी) के अंतर्गत चिह्नित और लक्षित आय वर्ग का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने एआरएचसी के निर्माण के लिए निजी/सार्वजनिक एजेंसियों की संख्या और उनके पंजीकरण के लिए अनुमानित समय के संदर्भ में कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने जुलाई 2020 में राजस्थान सहित देश भर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय वर्ग (एलआईजी) श्रेणी के प्रवासी श्रमिकों, शहरी गरीबों और अनौपचारिक क्षेत्र के मजदूरों की आवास की जरूरत को पूरा करने के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) की उप-योजना के रूप में किफायती किराया आवास परिसरों (एआरएचसी) को शुरुआत की। यह योजना दो मॉडलों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

मॉडल-1 के तहत, अब तक, कुल 5,783 सरकारी वित्तपोषित खाली आवासों को एआरएचसी में बदल दिया गया है, जिसमें चित्तौड़गढ़, राजस्थान में 480 आवासीय इकाइयां शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों में 7,413 मौजूदा सरकारी वित्तपोषित खाली आवासों को एआरएचसी इकाइयों में बदलने के प्रस्तावों पर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा, मॉडल 2 के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 175.95 करोड़ रुपये के प्रौद्योगिकी नवाचार अनुदान (टीआईजी) के साथ कई राज्यों में 83,298 नई एआरएचसी इकाइयों के निर्माण के प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है। इसमें से 36,450 एआरएचसी इकाइयों को जमीनी स्तर पर पूरा कर लिया गया है, जो तेजी से जमीनी कार्यान्वयन, सार्वजनिक/निजी संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी को दिखाता है।
इसके अलावा, एआरएचसी से मिले ज्ञान के आधार पर, पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत किफायती किराया आवास (एआरएच) के एक समर्पित घटक प्रावधान किया गया है, जिसका उद्देश्य शहरी प्रवासियों/औद्योगिक श्रमिकों/कामकाजी महिलाओं/छात्रों/शहरी गरीबों आदि सहित लक्षित लाभार्थियों के कार्यस्थलों के करीब किफायती किराया आवास के निर्माण को बढ़ावा देना है। एआरएच घटक को दो मॉडलों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है:

मॉडल-1: सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड या सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा मौजूदा सरकारी वित्तपोषित खाली आवासों को एआरएच में परिवर्तित करना।

मॉडल -2: शहरी गरीबों, कामकाजी महिलाओं, उद्योगों के कर्मचारियों, औद्योगिक संपदाओं, संस्थानों और अन्य पात्र ईडब्ल्यूएस/एलआईजी परिवारों के लिए निजी/सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा किराया आवास का निर्माण, संचालन और रखरखाव करना।

पीएमएवाई-यू 2.0 के योजना दिशानिर्देश https://pmay-urban.gov.in/uploads/guidelines/Operational-Guidelines-of-PMAY-U-2.pdf पर उपलब्ध हैं।

एआरएच घटक के तहत, सार्वजनिक/निजी संस्थाओं को उनकी अधिकतम भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करके और देश भर में किफायती किराया आवास स्टॉक बनाने के लिए निवेश का लाभ उठाकर सक्षम इको-सिस्टम बनाया गया है। इनमें ग्रीन-चैनल प्रक्रिया के माध्यम से फास्ट-ट्रैक, सिंगल-विंडो अनुमोदन; , मुफ्त टीडीआर के साथ 50% अतिरिक्त एफएआर; भू-परिवर्तन और सांविधिक शुल्क से छूट; और आवासीय परियोजनाओं के साथ नगरपालिका सेवा शुल्क बराबरी शामिल है ताकि सहभागिता को और बढ़ावा मिले एवं निर्माण की लागत कम हो। इसके

अलावा, नई एआरएच यूनिटों के निर्माण के लिए सार्वजनिक और निजी कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए कारपेट एरिया हेतु टीआईजी को 5,000 रुपये प्रति वर्गमीटर बढ़ाया गया है।

इस संबंध में, पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत सभी इच्छुक सार्वजनिक/निजी संस्थाओं द्वारा नई एआरएच इकाइयों के निर्माण हेतु परियोजना प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए मंत्रालय द्वारा रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) जारी की गई है। ईओआई के लिए वेब लिंक https://pmay-urban.gov.in/ARH-EOI.pdf पर है।

*****